I/199040/2024

सं० – I/199040/2024

संख्याः– /XXXIV-1/2024–IT-BUD/ITDA/1/2024 (ई–68343)

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्यो0, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्यो0 अनुभाग–01   देहरादून : दिनांक 15 मार्च, 2024

विषयः–आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून के नवीन आई0टी0 भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून के नवीन आई0टी0 भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत आंगणन धनराशि रू0 3707.36 लाख के सापेक्ष व्यय–वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3669.96 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ उनहत्तर लाख छियानव्वे हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2022–23 में शासनादेश संख्या–I/11329/2023, दिनांक–29.03.2023 के द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि रू0 1467.98 लाख (रूपये चौदह करोड़ सडसठ लाख अट्ठानव्वे हजार मात्र), भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2023-24" में Part-I के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 10.00 करोड़ आई0टी0डी0ए0 को अवमुक्त की गयी है। आई0टी0डी0ए0 के पत्र दिनांक 28.02.2024 के माध्यम से किये गये अनुरोध के कम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में, अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–4859–दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 02–इलेक्ट्रॉनिक्स, 800–अन्य व्यय, 16–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढिकरण/आई0टी0डी0ए0 को अनुदान, 55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1621.00 लाख के सापेक्ष **धनराशि रू0 1201.98 लाख (बारह करोड़ एक लाख अट्ठानवे हजार मात्र)** आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय।
3. तकनीकी प्रकृति के कार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में Specifications निर्धारित करते समय आवश्यकतानुसार ही Norms निर्धारित किये जाने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करते समय Rigidity से बचा जाय एवं Rate Reasonability और Economy/मितव्ययता के सम्बन्ध में यथालागू वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों, समय–समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी।

5. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाए।
6. आई0टी0डी0ए0 द्वारा परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का परीक्षण करते हुये आई0टी0डी0ए0 एवं कार्यदायी संस्था–ब्रिडकुल के मध्य हुये एम0ओ0यू0 की निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुरूप ही धनराशि ब्रिडकुल को अवमुक्त की जाय।
7. आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31.03.2024 तक शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–4859–दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 02–इलेक्ट्रॉनिक्स, 800–अन्य व्यय, 16–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण, 55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन मद के नामे डाला जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श एवं **शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(I)/2023, दिनांक–31.03.2023** में निहित प्राविधानों तथा बजट आवंटन अनुदान सं0–23 के **अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं–**S2403023000 4, H24030230004 ...., **दिनांक–**15.03.24 के द्वारा जारी किए जा रहा है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 14-03-2024 19:21:53 (शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
4. - केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. - सचिवालय प्रशासन, लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
6. - वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ashish Kumar Srivastava
Date: 15-03-2024 10:02:31 (आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by MANISH RANA, RO(IT-1)-MR, REVIEW OFFICER-IT-SEC-1, Information Technology Department on 15/03/2024 11:20 AM